

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक/4 नवम्बर, 2017


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया
संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 4-7-16.

—••—

संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की अनिवार्यता रखी गई जिसमें दिनांक 31.10.2017 तक शिथिलता दी गई ।


2/ उपर्युक्त परिपत्र के प्रावधान ऐसे विभागों जिनके अधिकारियों द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्वयं नगद राशि प्राप्त कर चालान द्वारा बैंक में जमा करते हैं, इस शर्त के साथ छूट दी जाती है कि प्राप्त राशि को मध्यप्रदेश वित्त संहिता के सुसंगत नियम अनुसार राज्य की संचित निधि में जमा करेंगे ।


(सुखवीर सिंह)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक/4 नवम्बर, 2017

प.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


(अजय चौबे)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग